भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 21

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम, 2019

21. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम, 2019 (पीईसीए) के उपबंधों के अनुपालन हेतु कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीईसीए के उल्लंघन के संबंध में सूचित किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्षों के दौरान पीईसीए के उल्लंघन के कारण लोगों पर लगाए गए जुर्माने और वसूले गए जुर्माने की राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा पीईसीए-2019 का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) से (ङ):भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेट और ऐसे उपकरणों को प्रतिषेध करने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों का प्रतिषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम (पीईसीए)', 2019 दिनांक 5 दिसंबर, 2019 को अधिनियमित किया था और इसके कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों का प्रतिषेध (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम, 2019 के प्रभावी अनुपालन के लिए सार्वजनिक सूचना भी पूरे भारत में जारी की गई। इस अधिनियम का प्रवर्तन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निहित है। प्रभावी कार्यान्वयन/अनुपालन और निगरानी के लिए रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों की ऑनलाइन शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए पीईसीए, 2019 के उल्लंघन के मामलों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

क्र सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-2023			2023-2024		
		मामलों की संख्या (उल्लंघन)	जब्त किया गया स्टाक (संख्या में)	स्टॉक का मूल्य (आईएन आर)	मामलों की संख्या (उल्लंघन)	जब्त किया गया स्टाक (संख्या में)	स्टॉक का मूल्य (आईएन आर)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	5	101	400	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	3	141	24395	1	1	3500
7	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	2	2
8	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
9	गोवा	0	0	0	0	0	0
10	गुजरात	2	8	49250	15	79	243600
11	हरियाणा	2	500	875000	1	226	33900
12	हिमाचल प्रदेश	3	148	0	0	0	0
13	जम्मू मंडल	0	0	0	0	0	0
14	झारखंड	0	0	0	0	0	0
15	कर्नाटक	4	74	50530	3	3811	947000
16	कश्मीर मंडल	0	0	0	0	0	0
17	केरल	3	3985	0	0	0	0
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0	0	17	182	475500
21	महाराष्ट्र	0	0	47710	108	93	9824715
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0

23	मेघालय	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	0	0	0	2	700	13000
27	पुडुचेरी	0	0	0	2	0	0
28	पंजाब	4	4	4	0	0	0
29	राजस्थान	7	45	0	0	0	0
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0
32	तेलंगाना	0	0	0	6	5	200000
33	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	10	0	0	0	0
34	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
35	उत्तर प्रदेश	0	405	1500000	0	0	0
36	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0
37	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	0	0
कुल		34	5421	2547289	156	5099	11741217

****